न्यायालयः अपर सत्र न्यायाधीश, नवम्, कटिहार।

जनपद– कटिहार (बिहार)

A.B.P.No.-1378/2025

Falka P.S. Case No- 93/2025

1. मो0 दिलसेर पिता मो0 नईम, उ0त0 25 वर्ष,
साकिन – रंगपुरा तुभानी टोला, थाना– मीरगंज,
जिला– पूर्णिया। .....आवेदक।

बनाम

बिहार सरकार .....अभियोजन।

अभियोजन की ओर विद्वान अधिवक्ता अ0 लो0 अभि0 श्री सरदार यशवंत सिंह।

आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ताः मो0 ..... मो0 अहसन।

उपस्थितिः– महेन्द्र प्रसाद यादव, अपर सत्र न्यायाधीश, नवम्, कटिहार।

दिनांकः 13.04.2026

आदेश

1. प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन दिनांक 17.12.2025 को आवेदक की ओर से नवीन वकालतनामा के साथ विद्वान अधिवक्ता मो0 अहसन द्वारा दाखिल किया गया है। जमानत आवेदन की प्रतिलिपि विद्वान अपर लोक अभियोजक को उपलब्ध करायी गयी है।
2. अभियोजन का संक्षिप्त केस यह है कि सूचिका रूबी खातून ने थानाध्यक्ष, फलका को एक लिखित आवेदन देते हुए कथन किया है कि मेरी पुत्री शबाना खातून की शादी मो0 दिलशेर के साथ हुआ था। शादी के एक महीना सब ठीक रहा। उसके बाद मेरी पुत्री को दहेज हेतु तीन लाख की मांग करने के चलते प्रताड़ित करने लगा। इसी क्रम में मेरी पुत्री गर्भवती भी हो गयी। मेरी पुत्री को इसी हालत में मेरे दामाद दिलशेर एवं सास हल्ला खातून, 3. बिजली खातून, 4. मोहम्मद आजाद, 5. मोहम्मद अशरफ आलम सभी मिलकर मेरी पुत्री के साथ मारपीट कर मिली भगत से मेरी पुत्री को मेरे घर पर पहुंचा दिया। इसी बीच मेरा दामाद एवं उक्त व्यक्ति सब दहेज की मांग कर धमकी दिया कि अगर जल्द दहेज नहीं मिला तो दिलसेर का दूसरा शादी कर देंगे। इसी बीच उक्त मेरा दामाद दिलशेर ने ग्राम शेखपुरा थाना भवानीपुर जिला पूर्णिया में फरीन खातून के साथ उक्त लोगों के मदद से शादी करवाने का प्रयास किया जिसे में वहां से स्थानीय ग्रामीण की मदद लेकर शादी होने नहीं दिया। इसी बीच मेरी पुत्री के नाम से एक फर्जी कागजात बना दिया जिसमें मेरी पुत्री को तलाक भी दे दिया। दिनांक 26.07.2025 को समय पर 11:00 बजे रात में मेरे दामाद दिलशेर उक्त लोगों की मदद एवं नबीउल्लाह, मोहम्मद नसीम, मोहम्मद भेलवा उर्फ भेलरा तीनों साकिन फलका, थाना– फलका, जिला– कटिहार को दूसरी लड़की फरीन खातून का मामा सब है। सब मिलकर फलका ग्राम में मेरे दामाद का दूसरा शादी फरीन खातून से करा दिया ।
3. अग्रिम जमानत के बिन्दु पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता मो0 अहसन एवं विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री सरदार यशवंत सिंह को सुना।
4. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता मो0 अहसन द्वारा कथन किया गया है कि आवेदक की ओर से गिरफ्तारी की आशंका से यह अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किया गया है। आवेदक की ओर से इस जमानत आवेदन के अलावे अन्य कोई नियमित अथवा अग्रिम जमानत आवेदन इस न्यायालय या मान्नीय उच्च न्यायालय, पटना में दाखिल नहीं किया गया है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक बिल्कुल निर्दोष हैं तथा उसने कोई अपराध नहीं किया है। आवेदक को इस वाद में झूठा फंसाया गया है। आवेदक के विरूद्ध आरोपित आरोप नहीं बनता है। आवेदक कभी भी सूचिका से दहेज की मांग नहीं किया है। आवेदक स्थानीय और सक्षम जमानतदार न्यायालय की संतुष्टि पर देने के लिए तैयार हैं तथा वह धारा 482 बी0एन0एस0एस0 के अन्तर्गत दिये गये शर्तों का पालन करने के लिए तैयार हैं। अतः न्यायहित में आवेदक को अग्रिम जमानत पर मुक्त करने की कृपा किया जाये।

Web copy of Katihar Court

5. विद्वान अपर लोक अभियोजक सरदार यशवंत सिंह ने आवेदक के अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कथन किया है कि वे अग्रिम जमानत के हकदार नहीं हैं।

6. उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे विदित है कि सूचिका बीबी खातून के लिखित आवेदन के आधार पर आवेदक एवं अन्य के विरूद्ध फलका थाना कांड संख्या 93/2025 दिनांक 08.08.2025 भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 126(2),127(2),115(2),85,318(4),352,3(5) के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज किया गया है। कांड दैनिकी के कंडिका 2,6,7,36,37 में साक्षियों ने प्राथमिकी आवेदन का समर्थन किया है तथा कंडिका 42 एवं 43 में आवेदक का कोई अपराधिक इतिहास नहीं पाया गया है। कंडिका 47 में सबीना खातून के शरीर पर कोई दिखाई देने वाला जख्म नहीं पाया गया है। कंडिका 48 में रूबी खातून के आंख के नीचे खरोच पाया गया है। कंडिका 49 में मंसूर आलम के सिर पर एक जख्म कठोर एवं कुन्द पदार्थ से कारित किया गया साधारण प्रकृति का पाया गया है तथा कंडिका 50 में मो0 सबीर के दाहिने आंख के पास खरोच पाया गया है। सभी जख्म साधारण प्रकृति के हैं तथा दिनांक 23.07.2025 के ही हैं। अभिलेख पर उपलब्ध कांड दैनिकी में धारा 35(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का अनुपालन अनुसंधानकर्ता द्वारा नहीं किया गया है। उभय पक्षों के बीच मामले में सुलह हेतु मामले को मध्यस्थता केन्द्र भेजा गया था, जहां से प्रतिवेदन प्राप्त है कि उभय पक्षों के बीच मध्यस्थता असफल रहा है। आवेदक पर आरोप है कि सूचिका की पुत्री शबाना खातून से दिनांक 14.08.2023 को शादी करने के बाद एक महीना तक ठीक से रखा, उसके पश्चात् दहेज हेतु तीन लाख रूपये की मांग करने लगा और प्रताड़ित करने लगा। सूचिका के पुत्री के गर्भवती होने पर उसके साथ मारपीट कर सूचिका के घर पहुंचा दिया तथा दूसरी शादी करने का प्रयास किया, जिसपर सूचिका एवं उसके परिवार के लोगों द्वारा विरोध किया गया, परन्तु उसने फरीन खातून के साथ दूसरी शादी कर लिया है तथा फर्जी कागजात बनाकर तीन तलाक दे दिया है।

7. इस प्रकार उपरोक्त संपूर्ण विवेचन से विदित है कि इस मामले में उभय पक्षों के बीच मध्यस्थता असफल रहा है तथा आवेदक अपने पत्नी के प्रति अपने वैवाहिक दायित्वों को पूरा करने के लिए सहमत नहीं है तथा उसने दूसरा विवाह कर लिया है। अभिलेख पर उपलब्ध आवेदक के आचरण को ध्यान में रखते हुए उसकी ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन दिनांक 17.12.2025 को इस निर्देश के साथ निस्तारित (disposed off) किया जाता है कि आवेदक संबंधित विद्वान विचारण न्यायालय में आदेश प्राप्ति की तिथि से 15 दिनों के अन्दर आत्मसमर्पण कर नियमित जमानत आवेदन की याचना करें, साथ ही विद्वान विचारण न्यायालय को निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश से प्रभावित हुए बिना उक्त जमानत आवेदन पर विधि सम्मत कानून के अनुसार अधिमानतः उसी दिन आदेश पारित करेंगे। कार्यालय लिपिक आदेश की प्रति विद्वान विचारण न्यायालय को भेंजे एवं अभिलेख नियमानुसार अभिलेखागार में जमा करें।

लेखापित

(महेन्द्र प्रसाद यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश, नवम्
कटिहार।

Date of order	13-04-2026
Date of Reserving order	13-04-2026
Uploading date	
Uploaded by	

Website of Civil Court, Katihar

Web Copy of Civil Court, Katihar